संख्या-809/44-1-2010-86/2010

प्रेषक,

हरिराज किशोर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रबन्ध निदेशक ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2010

विषय :- **सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-142 पी0आर0सी0 /44-1-2002- 13 उवेरि/2000,दिनांक 03 जून,2002 द्वारा निगमों / उपक्रमों की महिला सेवकों को 135 दिन तक का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था । वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2 -2017/दस-2008-216/79 , दिनांक 08 दिसम्बर,2008 एवं संख्या- जी-2-573/दस-2009- 216/79, दिनांक 24 मार्च,2009 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सरकारी सेवकों को प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसी प्रकार विशिष्ठ परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक सम्पूर्ण सेवाकाल में महिला सरकारी सेवकों को दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है । यह दोनो व्यवस्थाएं गोद ली गयी संन्तान के मामलें में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

2. इस संबंध में वित्त विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापों की प्रति भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों से संबंधित अधिनियमों/नियमों, कम्पनी एक्ट 1956 अथवा सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन के संबंधित आर्टिकिल्स तथा उ0प्र0 सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-41-1975) आदि के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय संदर्भगत शासनादेश, दिनांक 03 जून,2002 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में सम्पूर्ण सेवा काल में दो बार तक लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम 180 दिन करने तथा विशिष्ठ परिस्थितियों यथा सन्तान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु निगमों/ उपक्रमों की महिला सेवकों को उपर्युक्त वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/

प्रतिबन्धों के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्षो (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है । यह दोनो व्यवस्थाएं (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) गोद ली गयी सन्तानों के मामलें में भी लागू होगी ।

यह सुविधा तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगी एवं पूर्व प्रकरणों को पुर्नउद्धाटित नहीं किया जायेगा ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0- 809 (1)/44-1-2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों के प्रमुख सचिव/ सचिव ।
2. महानिदेशक,सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो,जवाहर भवन,लखनऊ को 10 प्रतियों में।
3. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ वाणिज्यिक, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध पत्रिका के प्रकाशनार्थ।
5. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0,लखनऊ।
6. निदेशक,सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी,सूचना, मुख्यमंत्री,उ0प्र0,लखनऊ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सी0पी0 सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्या–जी–2–2017 / दस–2008–216 / 79
लखनऊः दिनांकः 08 दिसम्बर, 2008

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः–**प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।**

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79, दिनांक 04–6–1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम **दो वर्ष (730 दिन)** का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है। यह दोनो व्यवस्थायें गोद ली गयी संतान के मामलें में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2– अतः श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04–6–1999 को अतिकमित करते हुए प्रसूति अवकाश के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश, अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढ़ाकर अधिकतम **180 दिन** करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम **दो वर्ष (730 दिन)** का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह दोनों व्यवस्थायें (प्रसूति अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश) गोद ली गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

4– उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगीं।

5– उपर्युक्त आदेश दिनांक **01 दिसम्बर, 2008** से प्रभावी होगें।

6– संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–जी–2–2017(1)/दस–2008–216/79,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2– महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

5– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

6– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, लखनऊ।

7– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

8– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन प्रतियों में)

9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 83 शा0 वित्त–11–12–2008–(1590)–10,000 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय–ज्ञाप

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2

संख्या–जी–2–573/दस–2009–216/79

लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2009

विषय:–बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शर्तों का निर्धारण।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी–2–2017/दस–2008–216–79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी, बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश अनुमन्य कराया गया है। संदर्भगत अवकाशों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शर्तें निम्नवत् हैं–

बाल्य देखभाल अवकाश–

(प) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकेगा। कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।

(पप) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जायेगा और उसी तरह स्वीकृत किया जायेगा।

(प्प) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा।

(प्ट) बाल्य देखभाल अवकाश तभी अनुमन्य होगा जब सम्बन्धित महिला कर्मचारी के लेखे में उपार्जित अवकाश अवशेष न हो।

दत्तक ग्रहण अवकाश–

(1) ऐसे महिला राजकीय सेवक जिनके दो से कम बच्चे जीवित हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो, को सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकाश (बैपसक ।कबवज़पवद स्मंअम) की सुविधा प्रदान की जायेगी। प्रसूति अवकाश एवं दत्तक ग्रहण अवकाश की बढ़ी हुयी अवधि का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 को प्रसूति अवकाश का उपभोग कर रही थी।

(2) महिला सरकारी सेवक को उक्त अवकाश अवधि के दौरान वह पूर्ण वेतन देय होगा जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो।

(3) दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है।

(4) दत्तक ग्रहण अवकाश के निरन्तरता में महिला सेवकों को यदि आवेदन किया जाता है, तो कानूनी तौर पर गोद लिये जाने के दिनांक को बच्चे की आयु घटाते हुये अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुमन्य अन्य अवकाश, बिना दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि को जोड़े, निम्न प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा:–

(क) यदि किसी महिला सेवक को गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित बच्चे हों तो यह अवकाश उसे स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ख) उपरोक्त एक वर्ष तक की अवधि के अवकाश की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार होगा–

(ग) दत्तक ग्रहण अवकाश पर बच्चे की आयु एक माह से कम होने पर एक वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(छ) बच्चे की आयु छः माह या अधिक परन्तु सात माह से कम होने पर छः माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(ज) बच्चे की आयु नौ माह या अधिक परन्तु दस माह से कम होने पर तीन माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

(5) दत्तक ग्रहण अवकाश को छुट्टी के लेखे के नाम नहीं लिखा जायेगा।

2– जिन महिला कर्मचारियों को शर्तों के अभाव में शासनादेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के अनुपालन में बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है उनके बाल्य देखभाल अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को उन्हें देय उपार्जित अवकाश में परिवर्तित माना जायेगा।

3– शासनादेश संख्या जी–2–2017/दस–2008–217–79, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4– उपर्युक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

5– संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

आज्ञा से,
अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।